### Ministry of Social Development Logo New Zealand Government Logo

फैक्टशीट

केयर इन द कम्युनिटी डिसेबिलिटी वेलफेयर फंड (समुदाय में देखभाल विकलांगता कल्याण कोष)

विकलांग लोग और उनके whānau (परिवार) जो COVID-19 से काफी प्रभावित हुए हैं, अब केयर इन द कम्युनिटी डिसेबिलिटी वेलफेयर फंड के माध्यम से कुछ स्थानीय प्रदाताओं के पास फंडिंग सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

* [अपने इलाके में प्रदाता को ढूंढें](https://msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/covid-19/care-in-the-community-welfare-response/successful-applicants-for-cicdwf-funding.html)

एक बार जब आप एक प्रदाता को ढूंढ लेते हैं, तो वे आपके साथ यह देखने के लिए काम करेंगे कि आपको किस सहायता की आवश्यकता है। आपकी आवश्यकताओं के आधार पर आपको सीधे फंडिंग (धनराशि) मिल सकती है, या प्रदाता आपके लिए सेवाएं, उपकरण या औजार खरीद सकता है।

निम्न के लिए मदद देने को प्राथमिकता दी जाती है:

* सामाजिक नेटवर्क और समुदायों के साथ जुड़ना
* विकलांग व्यक्ति के whānau (परिवार) के लिए सहायता
* COVID-19 के संपर्क में आने से बचाव के लिए सावधानियां
* सहायता नेटवर्क से जुड़ना।

फंडिंग का उपयोग निम्न के लिए **नहीं** किया जा सकता है:

* कम्युनिटी कनेक्टर (समुदाय से जोड़ने वाली) सेवा द्वारा सहायता प्रदान करने में
* जारी या पहले से चल रहे खर्चे, जैसे कि सदस्यता
* पहले से खरीदा गया सामान
* भोजन (आप भोजन के लिए स्थापित “खाद्य सुरक्षित समुदाय कार्यक्रम” और “विशेष आवश्यकता अनुदान” के माध्यम से भोजन प्राप्त कर सकते हैं)
* नकद संपत्ति खरीदने के लिए
* वाहन खरीदने के लिए
* मदिरा, सिगरेट, तम्बाकू, या वाष्प उत्पाद के लिए
* लॉटो (लाटरी) के लिए
* जुआ खेलने के लिए।

फंडिंग सीमित है और जब तक फंडिंग उपलब्ध है हर whānau (परिवार) में प्रत्येक विकलांग व्यक्ति अधिकतम $2,000 के लिए आवेदन कर सकता है।

आप [MSD (एमएसडी) वेबसाइट](https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/covid-19/care-in-the-community-welfare-response/care-in-the-community-disability-welfare-fund.html) पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

समुदाय, विकलांग व्यक्ति और whānau (परिवार) के परिप्रेक्ष्य से प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न: मुझे सहायता कैसे मिल सकती है?

सभी फंड (वित्त पोषित) प्रदाताओं की एक सूची MSD (एमएसडी) वेबपेज पर उपलब्ध है। उस संगठन से संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है जो आपकी आवश्यकताओं में सबसे उत्तम सहायता देता है।

प्रश्न: क्या मुझे खरीद का प्रमाण देना होगा?

प्रदाता यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि खरीदारी को सत्यापित किया गया है, लेकिन यह एक आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न: क्या मुझे अपनी विकलांगता साबित करनी पड़ेगी?

नहीं। आपकी जरूरत और उसके समाधान को प्रदाता के सहयोग से निर्धारित किया जाना चाहिए।

प्रश्न: यदि मेरे whānau (परिवार) में एक से अधिक विकलांग व्यक्ति हों तो क्या होगा?

हर whānau (परिवार) में प्रत्येक विकलांग व्यक्ति के लिए सहायता उपलब्ध है। यदि आपके whānau (परिवार) में एक से अधिक (विकलांग व्यक्ति) हैं, तो वे सभी समान स्तर की सहायता के पात्र हैं।

प्रश्न: क्या मैं उन चीज़ों को खरीद सकता/सकती हूँ जिनके लिए मेरे पास पहले से ही फंडिंग है या जिन्हें मैं पहले ही खरीद चुका/चुकी हूँ?

नहीं। फंड का उपयोग पहले से खरीदी गई चीजों या उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए नहीं किया जा सकता है जिनके लिए आपको पहले से ही फंडिंग मिल रही है।

प्रश्न: क्या डायरेक्ट सपोर्ट फंडिंग का उपयोग प्री-पेड (पहले से भुगतान किए गए) और भविष्य के खर्चों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है?

यह फंडिंग विकलांग व्यक्ति और whānau (परिवार) की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए है, न कि उनकी भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए।

प्रश्न: इस फंडिंग के अंतर्गत प्रदाता से सहायता प्राप्त करने वाले विकलांग लोगों और whānau (परिवार) के लिए कोई आयु सीमा है?

कोई आयु सीमा नहीं है।

प्रश्न: क्या कोई विकलांग व्यक्ति या whānau (परिवार) एक से अधिक प्रदाताओं से समुदाय में देखभाल विकलांगता कल्याण के लिए फंडिंग प्राप्त कर सकता है?

नहीं। फंडिंग के प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे जिस विकलांग व्यक्ति और परिवार को फंडिंग प्रदान कर रहे हैं, वह केवल एक प्रदाता से ही प्राप्त की जा रही है।